न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 00250/2018/223

1. शान्तिलाल पुत्र नथमल पुत्र कनकमल, जाति जैन, निवासी गोविन्दगढ़, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 17.5.2016 अंतर्गत वाद संख्या 70/2014.

उपस्थितः—

1. श्री श्रवणसिंह राठौड़, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः— 11.02.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के आदेश दिनांक 17.5.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील पीसांगन जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके चौसाला खसरा नंबर 752 रकबा 7—7—10 वर्किंग खसरा नंबर 901 रकबा 1—8—00 आधारभूत खसरा नंबर 1474 रकबा 0.23 है0, वर्किंग खसरा नंबर 922 मीन रकबा 0—4—00 आधारभूत खसरा नंबर 1482 रकबा 0.03 है0, वर्किंग खसरा नंबर 923 मिन रकबा 5—15—10 आधारभूत खसरा नंबर 1473 रकबा 0.08 है0, 1476 रकबा 0.06 है0 एवं 1477 रकबा 0.80 है0 बने है । वादग्रस्त आराजियात वादी के पिता नथमल पुत्र कनकमल को दिनांक 31.5.1965 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन की गई थी । उक्त आवंटन का नोट नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2035 के कॉलम संख्या 6 में अंकित है तथा वादी के पिता द्वारा तत्समय तिल, मोठ, ज्वार आदि की काश्त भी अंकित है । बंदोबस्त विभाग द्वारा उक्त चौसाला खसरा नबर 752 के नये वर्किंग खसरा नंबर 901, 922 व 923 कायम किए जिसके हाल खसरा नंबर 1473, 1474, 1776, 1477 व 1482 बनाये गये है । बंदोबस्वत विभाग द्वारा केवल वर्किंग खसरा संख्या 1474 रकबा 0.23 है0 को ही वादी की खातेदारी में दर्ज किया शेष खसरा नंबरान को बिना सक्षम न्यायालय के आदेशों एवं रहन, बेचान, मुन्तकिल किये आधारभूत जमाबंदी में सिवायचक दर्ज कर दिया जिसकी दुरूस्ती की जाकर वादी को अधिकार अभिलेख में बहैसियत खातेदार दर्ज किया जाना न्यायोचित है। विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 17.5.2016 द्वारा

वादी/अपीलांट का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.5.2016 विरूद्ध न्याय, नियम एवं रिकार्ड के होने से काबिल निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजियात वादी के पिता नथमल पुत्र कनकमल को दिनांक 31.5.1965 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन की गई थी । उक्त आवंटन का नोट नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2035 के कॉलम संख्या 6 में अंकित है तथा वादी के पिता द्वारा तत्समय तिल, मोठ, ज्वार आदि की काश्त भी अंकित है । बंदोबस्त विभाग द्वारा उक्त चौसाला खसरा नबर 752 के नये वर्किग खसरा नंबर 901, 922 व 923 कायम किए जिसके हाल खसरा नंबर 1473, 1474, 1776, 1477 व 1482 बनाये गये है । बंदोबस्वत विभाग द्वारा केवल वर्किग खसरा संख्या 1474 रकबा 0.23 है0 को ही वादी की खातेदारी में दर्ज किया शेष खसरा नंबरान को बिना सक्षम न्यायालय के आदेशों एवं रहन, बेचान, मुन्तकिल किये आधारभूत जमाबंदी में सिवायचक दर्ज कर दिया । जबकि बंदोबस्त विभाग को पूर्व इंद्राज को राजस्व रिकार्ड में दोहराना चाहिये था । आवंटन के उपरांत आवंटी तत्पश्चात् अपीलांट विवादित आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे है । अधी0न्याया0 ने जल्दबाजी में वाद को निर्णित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट/वादी द्वारा वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये थे जिससे वादी के वाद की पुष्टि होती है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वाद को निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । खसरा गिरदावरी संवत् 2035 के कॉलम संख्या 6 में अपीलांट के पिता के नाम काश्त दर्ज है । अधी0न्याया0 ने वाद को राजस्व कैम्प में निर्णित किया है जबकि कैम्प में केवल वे ही प्रकरण निर्णित किये जा सकते है जिनमें पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया हो । हस्तगत प्रकरण में पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा अथवा समझौता नहीं हुआ था । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय विधिक प्रक्रिया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विवादित भूमि खसरा नंबर 1473, 1476, 1477 हाल चौसाला जमाबंदी एवं गत चौसाला जमाबंदी में सिवायचक दर्ज है । आवंटन आदेश की पालना में वादी/अपीलांट को कभी भी राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज नहीं किया गया है। वादी दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित करने में असफल रहा है कि वादी की खातेदारी आराजियात त्रुटिपूर्ण रूप से सिवायचक दर्ज की गई है । विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजी ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील पीसांगन जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके चौसाला खसरा नंबर 752 रकबा 7–7–10 भूमि अपीलांट के पिता नथमल पुत्र कनकमल को दिनांक 31.5.1965 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन की गई थी । उक्त आवंटन का नोट नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2035 के कॉलम संख्या 6 में अंकित

है तथा वादी के पिता द्वारा तत्समय तिल, मोठ, ज्वार आदि की काश्त भी अंकित है । बंदोबस्त विभाग द्वारा उक्त चौसाला खसरा नबर 752 के नये वर्किंग खसरा नंबर 901, 922 व 923 कायम किए जिसके हाल खसरा नंबर 1473, 1474, 1776, 1477 व 1482 बनाये गये है । बंदोबस्वत विभाग द्वारा केवल वर्किंग खसरा संख्या 1474 रकबा 0.23 है0 को ही वादी की खातेदारी में दर्ज किया शेष खसरा नंबरान को बिना सक्षम न्यायालय के आदेशों एवं रहन, बेचान, मुन्तकिल किये आधारभूत जमाबंदी में सिवायचक दर्ज कर दिया गया है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 752 रकबा 31.5.1965 को नथमल वल्द कनकमल को आवंटन की गई थी किन्तु उक्त आवंटन आदेश का राजस्व जमाबंदी में गैर खातेदारी तत्पश्चात् खातेदारी में दर्ज किये जाने के संबंध में अपीलांट ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है । अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष ग्राम पंचायत गोविन्दगढ़ का उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र पेश किया है जिसमें अपीलांट शांतिलाल को नथमल का दत्तक पुत्र बताया गया है किन्तु अपीलांट को दत्तक पुत्र लिये जाने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । दिनांक 31.5.1965 के आवंटन का इतने वर्षो तक राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं किये जाने के संबंध में आवंटी एवं अपीलांट द्वारा इतने वर्षो तक कोई चाराजोही क्यों नहीं की गई, इस संबंध में अपील में कोई कारण अंकित नहीं किये है । वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड में सिवायचक अंकित है । विवादित आराजियात कभी भी आवंटी अथवा अपीलांट के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी से दर्ज रहने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है इसलिये अपीलांट का यह कथन कि त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि से राजकीय खाते में दर्ज हुई है, किया गया कथन उचित नहीं है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

7. अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.5.2016 यथावत् रखी जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 11.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर